

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /श्री सौरभ कुमार साह, भा0पु0से0 (2009), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, बेतिया को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2013 से 24.12.2013 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री साह के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बगहा अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बेतिया के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2013  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 9237 /पटना, दिनांक 12 दिसम्बर, 2013  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री सौरभ कुमार साह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, बेतिया/पुलिस अधीक्षक, बगहा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।